

प्रकरण सं० अनवान.....
Continuation Note Sheet

२७-२०

वकील वादी अनुपरिचयत। वादीगण
अनुपरिचयत। वादी एवं वकीलवादी
को बार-बार आवाजे लगावाइ गिई
किन्तु कोई उपस्थित नहीं। गौरहाजरी
का कोई कारण पेश नहीं। पगावली
अदम हाजरी अदम परवी खारिज
की जाती है। पगावली कायरा
नम्बर से कम की जाकर बाद
तकमील जावता दारिखला अभिलेखागार
है।

(उममेद सिंह खन्नु)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

